



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन 1939 (श10)

(सं० पटना 922) पटना, मंगलवार, 10 अक्टूबर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

10 अक्टूबर 2017

एस०ओ० 203, दिनांक 10 अक्टूबर 2017—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 और बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 96क के उपनियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार-राज्यपाल, असाधारण अंक, में संख्या 874, तारीख 21 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना एस० 167, तारीख 21 सितम्बर, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, जिसका आशय स्वीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय का है, बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने के लिए शर्तें और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट करते हैं:-

- (i) ऐसे मामलों में, जहां अपवंचित कर की रकम दो सौ पचास लाख रुपये से अधिक है, तथा जिन्हें बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 कर 12) का एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 कर 13) या किसी प्रवृत्त विद्यमान विधि के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित किया गया है, उन व्यक्तियों के सिवाय, ऐसे सभी व्यक्ति, जिनका आशय स्वीकृत कर का संदाय किए बिना निर्यात के लिए माल या सेवाओं के प्रदाय का है, बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र देने के पात्र होंगे ;
- (ii) किसी वित्तीय वर्ष के लिए, परिवचन पत्र रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के शीर्षनामे पर, दो प्रतियों में, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 96क उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्ररूप जीएसटी आरएफडी-11 के उपाबंध में दिए जाएंगा और यह कार्यरत भागीदार, प्रबंध निदेशक या कंपनी सचिव या स्वत्वधारी द्वारा या ऐसे कार्यरत भागीदार या ऐसी कंपनी के निदेशक बोर्ड या स्वत्वधारी द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किया जाएगा;
- (iii) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 96क के उपनियम (1) के खंड (क) और खंड (ख) में उल्लिखित अवधि के भीतर, उक्त उपनियम (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट ब्याज सहित देय कर का संदाय करने में असफल रहता है तो परिवचन पत्र विधिमान्य नहीं रहेगा और यह ऐसे कर और ब्याज का संदाय के पश्चात् फिर से विधिमान्य होगा।

2. इस अधिसूचना के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तनों, सहित किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या विशेष आर्थिक जोन इकाई भी है) द्वारा किसी विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता या, विशेष आर्थिक जोन इकाई को एकीकृत कर का संदाय किए बिना किए गए माल या सेवाओं या दोनों के जीरो रेटेड प्रदाय के संबंध में लागू होंगे।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-20/2017-3692)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

10 अक्टूबर 2017

एस०ओ० 204, एस०ओ० 203, दिनांक 10 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-20/2017-3692)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 10th October 2017

S.O. 203, dated 10th October 2017—In exercise of the powers conferred by section 54 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, and sub-rule (5) of rule 96A of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, and in supercession of notification no. 874, dated the 21st September, 2017, published in Bihar Gazette, Extraordinary, vide S.O. -167 dated the 21st September, 2017 except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the Governor of Bihar, hereby specifies conditions and safeguards for furnishing a Letter of Undertaking in place of a Bond by a registered person who intends to supply goods or services for export without payment of integrated tax -

- (i) all registered persons who intend to supply goods or services for export without payment of integrated tax shall be eligible to furnish a Letter of Undertaking in place of a bond except those who have been prosecuted for any offence under the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) or any of the existing laws in force in a case where the amount of tax evaded exceeds two hundred and fifty lakh rupees;
- (ii) the Letter of Undertaking shall be furnished on the letterhead of the registered person, in duplicate, for a financial year in the annexure to FORM GST RFD – 11 referred to in sub-rule (1) of rule 96A of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 and it shall be executed by the working partner, the Managing Director or the Company Secretary or the proprietor or by a person duly authorised by such working partner or Board of Directors of such company or proprietor;

- (iii) the Letter of Undertaking shall cease to be valid if the registered person fails to pay the tax due along with interest, as specified under sub-rule (1) of rule 96A of Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, within the period mentioned in clause (a) and clause (b) of the said sub-rule and it shall resume being valid after such tax and interest is paid.
2. The provisions of this notification shall *mutatis mutandis* apply in respect of zero-rated supply of goods or services or both made by a registered person (including a Special Economic Zone developer or Special Economic Zone unit) to a Special Economic Zone developer or Special Economic Zone unit without payment of integrated tax.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-20 /2017-3692)]

By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 922-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>